नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
भिलाई-दुर्ग (छ.ग.) की
51वीं छमाही 'ई-बैठक' का
कार्यवृत्त

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई-दुर्ग की 51वीं छमाही ' ई-बैठक ' माननीय श्री हरीश सिंह चौहान, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) एवं कार्यालयाध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मध्य क्षेत्र, भोपाल के मुख्य आतिथ्य एवं माननीय श्री अनिर्बान दासगुप्ता, निदेशक प्रभारी, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं अध्यक्ष नराकास,भिलाई-दुर्ग की अध्यक्षता एवं माननीय सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई| बैठक में समिति के माननीय सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनकी सूची संलग्न है | **(संलग्नक - 1)**

बैठक में समिति की गृह पत्रिका 'महानदी' के 'आरोग्य विशेषांक' का भी विमोचन किया गया|

तत्पश्चात अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाहक सचिव ने कार्यसूची एवं अनुपालन पर मदवार चर्चा प्रारंभ की, जिसमें सर्वप्रथम सदन के समक्ष विगत छमाही का अनुपालन प्रतिवेदन रखा गया जो निम्नवत है :-

मद संख्या 1 : समिति की 50वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

समिति की 50वीं छमाही बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2020 को अध्यक्ष, नराकास भिलाई-दुर्ग एवं माननीय सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित की गई| बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को भेज दिए गए थे| सचिव ने कार्यवृत्त के विभिन्न मदों से समिति को अवगत कराया और सभी सदस्यों से निवेदन किया कि 50वीं बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में यदि कोई संशोधन या सुझाव हो तो समिति को अवगत कराएँ अन्यथा बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करें| सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की| तत्पश्चात उक्त कार्यवृत्त के आधार पर संपन्न कार्यों का अनुपालन प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखा गया|

मद संख्या 2 : पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई :

सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन पर बिन्दुवार चर्चा की, जिसमें अधोलिखित कार्य संपन्न हुए :-

क्रमशः 2 .....

(1) विगत छमाही में नराकास सचिव द्वारा कार्यसूची में 50वीं स्वर्ण जयंती बैठक की स्मृति को संजोने हेतु सभी संस्थानों को अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात प्रतीक चिन्ह भेंट करने का निर्णय लिया गया था, जिसका अनुपालन किया गया|

(2) भारत सरकार,राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मध्य क्षेत्र, भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशों को नराकास सचिवालय द्वारा सभी संस्थानों को ई-मेल एवं डाक द्वारा सूचना अनुपालन हेतु भेजी गई|

(3) सभा में उपस्थित सभी संस्थान प्रमुखों को स्मरण कराया गया कि अपने कार्यालयों में सभी बोर्ड, नामपट्ट एवं रबर मोहर को द्विभाषी में ही अनिवार्य रूप से तैयार करवा लें, जिसका अनुपालन किया गया है|

(4) प्रत्येक तिमाही में सभी संस्थान प्रमुख अपने-अपने संस्थान में कार्यशाला आयोजित कराने के लिए बताया गया|

(5) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का सभी संस्थानों में शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है| सभी कागजात द्विभाषी में जारी किए गए|

(6) समिति संस्थानों द्वारा नराकास स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया| इस छमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, सेक्टर-10, भिलाई एवं भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजन किया गया |

(7) विगत छमाही में संस्थानों द्वारा जाँच बिंदु बनाए गए हैं|

(8) समिति के सभी संस्थानों को वार्षिक अंशदान के रूप में बढ़ाई गई राशि की सूचना वर्तमान वित्त वर्ष के प्रारंभ में (अप्रैल माह में) भेजी गई है|

(9) संस्थानों में पिछली बैठक के कार्यवृत्त के माध्यम से सूचना भेजी गई| मात्र 14 संस्थानों ने वार्षिक अंशदान के रूप में ₹ 6000/- (₹ छः हजार मात्र) नराकास सचिवालय को प्रेषित किए हैं|

(10) समिति के सभी संस्थानों को वार्षिक अंशदान राशि जमा करने हेतु उपलब्ध बैंक ऑफ बड़ोदा के बचत खाता क्रमांक के परिवर्तन की सूचना ई-मेल द्वारा भेजी गई|

(11) समिति की छमाही बैठकों में संस्थान प्रमुख शिरकत करते हैं| अपरिहार्य परिस्थिति में उपस्थित नहीं होने की लिखित सूचना समिति सचिवालय को भेजी जाती है

क्रमशः 3 ....

मद संख्या 3 : जुलाई-2020 से सितंबर-2020 के दौरान सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा :

सचिव ने सदस्य कार्यालयों द्वारा भेजे गए आंकड़ों के आधार पर समीक्षा करते हुए समिति को अवगत कराया की संस्थानों द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम-5 प्रावधानों का शत प्रतिशत अनुपालन किया गया है। इस दिशा में राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मध्य क्षेत्र, भोपाल द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया गया।

मद संख्या 4 : आगामी छमाही के लिए प्रस्तावित कार्यसूची के प्रमुख बिंदु :

उपरोक्त सभी मदों पर सदन में उपस्थित सदस्यों द्वारा गहन विचार के पश्चात सर्वसम्मति से अधोलिखित निर्णय लिए गए, जो कार्यवृत्त के रूप में आने वाले छमाही में संपादित किए जायेंगे ।

1. राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मध्य क्षेत्र, भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

2. संस्थानों द्वारा प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया जाना।

3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले कागजातों को द्विभाषी में ही जारी किया जाना।

4. संस्थानों में प्रत्येक तिमाही में 01 नराकास स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।

5. समिति संस्थानों द्वारा वार्षिक अंशदान राशि का वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही तक आवश्यक रूप से भुगतान किया जाना।

6. राजभाषा विभाग के निदेशानुसार छमाही बैठकों में संस्थान प्रमुखों की उपस्थिति अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अनिवार्य किया जाना।

7. हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा/माह का अपने संस्थान में हुए आयोजनों का प्रतिवेदन (फोटोग्राफ संलग्न कर) उपलब्ध कराया जाना; ताकि नराकास,भिलाई-दुर्ग की गृह पत्रिका 'महानदी' के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा सके।

क्रमशः 4 .....

8. वर्तमान महामारी के दौर में अपने कार्यक्षेत्र एवं समाज में बीमारी से बचाव के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से किये गये अभिनव प्रयासों की जानकारी साझा किया जाना|

9. आगामी माह में नराकास के सभी सदस्य संस्थानों में राजभाषा अनुपालन संबंधी कार्यों का ई-मूल्यांकन किया जाना| ई-मूल्यांकन हेतु संस्थानों से सदस्यों का चुनाव कर नराकास मूल्यांकन उप समिति का गठन किया जाना|

10. नराकास संस्थानों एवं संयंत्र का संयुक्त रूप से ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना|

11. नराकास, भिलाई-दुर्ग द्वारा नगर में लगाए गए राजभाषा होर्डिंग्स का नवीनीकरण किया जाना|

उपरोक्त सभी मदों पर सदन में उपस्थित सदस्यों द्वारा गहन विचार के पश्चात सर्व सम्मति से अधोलिखित निर्णय लिए गए, जो कार्यवृत्त के रूप में आने वाले छमाही में संपादित किए जायेंगे|

मद संख्या 5 : विभागीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन करना :

संस्थानों द्वारा प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया जाए |

कार्रवाई : माननीय समिति सदस्य संस्थान |

मद संख्या 6 : राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जाना|

सभी संस्थानों द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी कागजातों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही निर्गत किया जाए|

कार्रवाई : माननीय समिति सदस्य संस्थान |

मद संख्या 7 : समिति संस्थानों द्वारा नराकास स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना :

समिति संस्थानों के प्रत्येक ग्रुप द्वारा माह में 01 नराकास स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए |

कार्रवाई : माननीय संबद्ध समिति सदस्य संस्थान |

क्रमशः 5 .....

मद संख्या 8 : समिति की वार्षिक अंशदान राशि का भुगतान :

समिति संस्थानों द्वारा वार्षिक अंशदान राशि का वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही तक आवश्यक रूप से भुगतान किया जाए|

समिति की 50वीं बैठक में सर्वसम्मति से वार्षिक अंशदान की राशि में वृद्धि की गई है| वर्ष 2020-21 से वार्षिक अंशदान की राशि ₹6,000/- (₹ छः हजार मात्र) कर दी गई है| उक्त राशि प्रत्येक वर्ष वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही तक आवश्यक रूप से भुगतान किया जाए|

कार्रवाई : 1. माननीय समिति सदस्य संस्थान 2. समिति सचिवालय |

मद संख्या 9 : बैठकों में संस्थान प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य किया जाना|

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि समिति की छमाही बैठकों में संस्थान प्रमुख अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें| अपरिहार्य परिस्थिति में वे अपने अधीनस्थ को भेज सकते हैं किन्तु इसकी लिखित सूचना उन्हें समिति सचिवालय को देनी होगी|

कार्रवाई : 1. माननीय समिति सदस्य संस्थान 2. समिति सचिवालय |

मद संख्या 10 : संस्थानों द्वारा सितंबर माह में हिंदी दिवस/ पखवाड़ा/माह के आयोजन की रिपोर्ट सचिवालय को भेजा जाना|

समिति के प्रत्येक सदस्य संस्थानों द्वारा सितंबर माह 2020 में अपने कार्यालय स्तर पर हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा/हिंदी माह का आयोजन किया गया | अपने संस्थान में हुए आयोजनों का प्रतिवेदन (फोटोग्राफ संलग्न कर) उपलब्ध कराया जाए ताकि नराकास,भिलाई-दुर्ग की गृह पत्रिका 'महानदी' के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा सके| सदस्य संस्थान उक्त से संबद्ध रिपोर्ट सचिवालय को प्रेषित करेंगे|

कार्रवाई : 1. माननीय समिति सदस्य संस्थान 2. समिति सचिवालय

मद संख्या 11: नराकास संस्थानों द्वारा किए गए अभिनव प्रयासों की जानकारी साझा किया जाना|

वर्तमान महामारी के दौर में अपने कार्यक्षेत्र एवं समाज में बीमारी से बचाव के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से किये गये अभिनव प्रयासों की जानकारी साझा किया जाए|

कार्रवाई : 1. माननीय समिति सदस्य संस्थान 2. समिति सचिवालय

क्रमशः 6 .....

मद संख्या 12 : नराकास **मूल्यांकन उप समिति का गठन किया जाना |**

आगामी माह में नराकास के सभी सदस्य संस्थानों में राजभाषा अनुपालन संबंधी कार्यों का ई-मूल्यांकन किया जाए| जिसके लिए निवासी लेखा परीक्षा कार्यालय के श्री राजुल कुमार दत्ता, वरीय लेखा परीक्षाधिकारी ने ई-मूल्यांकन उप समिति की अध्यक्षता करने हेतु सहमति प्रदान की है| श्री दत्ताजी उप समिति के अन्य पांच सदस्यों का शीघ्र ही चयन कर उप समिति की घोषणा करेंगे| यह उप समिति दिसंबर माह में ई-मूल्यांकन का कार्य संपादित करेगी|

कार्रवाई : 1. माननीय समिति सदस्य संस्थान 2. सदस्य संस्थान प्रमुख
3. राजभाषा मूल्यांकन उप समिति |

मद संख्या 13 : संयुक्त रूप से ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना|

नराकास संस्थानों एवं संयंत्र का संयुक्त रूप से ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए|

कार्रवाई : माननीय संबद्ध समिति सदस्य संस्थान |

मद संख्या 14 : नराकास, भिलाई-दुर्ग द्वारा नगर में लगाए गए राजभाषा होर्डिंग्स का नवीनीकरण किया जाना|

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई-दुर्ग के नगर में विभिन्न स्थानों पर कुल 06 होर्डिंग्स लगे हैं, जो धूमिल एवं खराब हो चुके हैं, उनका नवीनीकरण किया जाए|

कार्रवाई : माननीय संबद्ध समिति सदस्य संस्थान |

सदन में माननीय मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दें | सभी संस्थान प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन करें| इस निमित्त आप समिति सचिवालय का सहयोग ले सकते हैं| उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि हमें अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के बजाए मूल रूप से देवनागरी में कागजात तैयार करनी चाहिए, तभी हिंदी का तेजी से विकास होगा|
अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा की कार्यवाही समाप्त हुई |

9/11/2020

(सौमिक डे)
उप महाप्रबंधक (संपर्क, प्रशा. एवं
राजभाषा प्रभारी) एवं कार्यवाहक सचिव,
नराकास, भिलाई-दुर्ग

9/11/2020

(अनिर्बान दासगुप्ता)
निदेशक प्रभारी, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं
अध्यक्ष,
नराकास, भिलाई-दुर्ग